

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

तहसील अधिकारी: - ~~विजय चंद अर्जुन~~

क्रमांक संख्या - 129/18  
श्रीमती जीता देवी W/o. सोहन लाल निवासी - आल्मीनगर, भीलवाड़ा

---प्रार्थीगण

श्री रमेश S/o. मांगी लाल बनावत नि. - सांगानेर कुंलोनी  
श्री रामेश्वर S/o. काधुराम जाट नि. - कडवा महुडा  
श्री हीरा S/o. काधुराम जाट नि. - कडवा महुडा

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: - 2/5/18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महुडा, आल्मीनगर, पटवार हल्का, महुडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 2076, 2872/2116, 3112/2076, कुल किता 3, रकबा 0.8, बीघा 0, विस्वा स्थित है। वादस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18/5/18 को पंजीबद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया गया। अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महुडा, आल्मीनगर, पटवार हल्का, महुडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2076, 2872/2116, 3112/2076, कुल किता 3, रकबा 0.8, बीघा 0, विस्वा स्थित भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक महुडा, आल्मीनगर को 800 रूपये (अक्षर: - आठ सौ) कमीशनर फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमीशनर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बताने हेतु मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया गया। अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महुडा, आल्मीनगर, पटवार हल्का, महुडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2076, 2872/2116, 3112/2076, कुल किता 3, रकबा 0.8, बीघा 0, विस्वा स्थित भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक महुडा, आल्मीनगर को 800 रूपये (अक्षर: - आठ सौ) कमीशनर फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमीशनर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बताने हेतु मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा